

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 223/2021 (धारा 14 सेक्युरिटाईजेशन)
कैमकिन होम्स लि. शाखा एन-14, से 21, द्वितीय तल, भीजगड टावर, हवा सडक, जयपुर।

प्राथी

बनाम

1. श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री मनोज जैन
2. श्री मनोज जैन पुत्र श्री शान्ति लाल जैन
पता :- 1509, इपोपुर हाउस बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, घादपोल बाजार, जयपुर।
एवं प्लॉट नम्बर एफ-78, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 203, विधानसभा नगर, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ
धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्री अरविन्द कुमार मंगल पुत्र श्री भगवानसहाय मंगल
पता :- प्लॉट नं. 292, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, वार्ड नम्बर 24, सांगानेर, जिला
जयपुर।

अप्राथीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.

उपस्थित-

1. प्रतिनिधि प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 07.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के लघ्य इस प्रकार है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 22.12.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री मनोज जैन के स्वमित्त की सम्पत्ति प्लॉट एफ-78, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 203, विधान सभा नगर, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि कुल 15,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 01.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक बुलिट इन्वॉयर उपलब्ध कराने की इत्तदुआ की है।

स्ट्रेट
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर, 2003 को क्रम संख्या 4 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 15,49,361/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती स्वीटी जैन पत्नी श्री मनोज जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट एफ-78, प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 203, विधान सभा नगर, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



7/12/21
(अनार वि. सं. सं. सं.)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर